कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/10/वि.जां./2019/2586 भोपाल, दिनांक 19/09/2019

– आदेश –

कार्यालयीन आदेश क./स्था/10/वि0जां0/2019/295 दिनांक 06.02.2019 के द्वारा श्री जगदीश खीची, सहकारी निरीक्षक, इन्दौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला रायसेन नियत किया गया ।

02–श्री जगदीश खीची, निलंबित राहकारी निरीक्षक, रायरोन को कारण बताओ सूचना पत्र म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र क0/स्था/ 10/वि.जा. /2019/479 दिनांक 25.02.2019 द्वारा जारी करते हुये उन्हें अधिरोपित आरोपों पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का अवसर प्रदान किया गया था।

03–अपचारी कर्मचारी पर निम्नानुसार आरोप अधिरोपित है –

03.1–आरोप कमांक 01– आपको जिला इन्दौर में पदस्थी के दौरान प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या0 पुर्वाडा हप्पा एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या0 पलासिया की म0प्र0राज्य शासन द्वारा जारी जय किसान फसल ऋण माफी योजना के कियान्वयन हेतु शीर्ष बैक द्वारा निर्धारित किये गये 37 कॉलम की जानकारी का संस्था के अभिलेखों से सत्यापन करने हेतु आदेशित किया गया था, आपके द्वारा संस्था के अभिलेखो का अवलोकन किये बिना ही सूची सत्यापित की गई, जबकि सूची असत्य ऑकडो पर तैयार की गई थी, जिससे ग्राम पंचयतों में प्रदर्शित सूची में असत्य जानकारी के प्रदर्शन के फलस्वरूप विभाग की छबि धूमिल हुई ।

04– प्रकरण में आरोपी कर्मचारी द्वारा उन्हें नियम 14 के अंर्तगत जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25.02.2019 का प्रतिउत्तर दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत किया गया, प्राप्त उत्तर का अवलोकन/परीक्षण करने के उपरांत मान्य योग्य नही पाये जाने के फलस्वरूप विचारोपरांत कार्यालयीन आदेश कमांक/स्था /10/वि0जां0 /2019/1134 दिनांक 27.04.19 के द्वारा श्री जगदीश खीची, निलंबित सहकारी निरीक्षक, रायसेन के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर प्रकरण में संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर को जांचकर्ता अधिकारी तथा सहायक आयुक्त सहकारिता अंकेक्षण जिला इन्दौर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

05– प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.10.2018 को प्रस्तुत किया गया। जांचकर्त्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान अधिरोपित आरोप कमांक 01 के संबंध में निष्कर्ष के तौर पर उल्लेखित किया है कि प्रथमतः सेवा संस्था पुर्वाडाहप्पा एंव पलासिया में राज्य शासन की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के संबंध में अपचारी को दिनांक 15.12.2018 को सांयः 05:30 बजे को आदेशित किया एवं दिनांक 16.012.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे परीक्षण रिपोर्ट चाही, जो अत्यन्त अल्पावधि परीक्षण की दृष्टि से होती है। अपचारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में मात्र रेंडम/सतही तौर पर खातो का परीक्षण किया जाना बताया है और इस हेतु संस्था के सहायक समिति प्रबंधक, कर्मचारी, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा काल्पनिक आधार पर त्रुटिपूर्ण सूची प्रस्तुत की गयी, साथ ही विगत 02 वर्षो से संस्था में खातो के रिकार्ड संधारण की जानकारी अद्यतन नही रही। इस हेतु सीधे तौर पर अपचारी का दायित्व नही बनता है। संस्था में खातो/सूची/अभिलेखो का संधारण का दायित्व संस्था प्रबंधक, कर्मचारी एंव कम्प्यूटर आपरेटर का होता है और उनके स्तर से तैयार की गयी सूची का परीक्षण विभागीय तौर पर अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। अपचारी के समक्ष अपूर्ण एंव

काल्पनिक सूची एंव रिकार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपचारी द्वारा रेंडम तौर पर अपने उत्तर में 09 खातेदारो के खाते देखे गये, जो सही होना दर्शित है। विभागीय स्तर से कराई गयी जॉच में संस्था के प्रबंधक, कर्मचारी एंव कम्प्यूटर आपरेटर दोषी रहे है, जिनके विरूद्ध सेवा नियमों के तहत तत्काल कार्यवाही की गयी है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संक्षेपिका दिंनाक 05.08.2019 में अपचारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जॉच में गंभीर त्रुटि/दुराशयता नही होना दर्शित है। उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर सुस्पष्ट है कि अपचारी द्वारा रेंडम/सतही तौर पर ही विभागीय निर्देशानुसार अत्यन्त अल्प समय में खातो के परीक्षण एंव सूची का परीक्षण किया गया है, उसमें चैतन्यता एंव सजगता का अभाव रहने के कारण आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित माना गया है।

06– श्री जगदीश खीची, निलंबित सहकारी निरीक्षक, रायसेन को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 19.09.2019 जाकर उन्हे समक्ष मे सुना गया। सुनवाई के दौरान उन्होने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि सूचियो का परीक्षण हेतु दिनांक 15.12.2018 को श्याम 05.30 बजे आदेश प्राप्त हुआ तथा सूची दिनांक 16.12.18 को 03.00 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश थे, संस्थाओ द्वारा बैक में सूची प्रस्तुत की थी तथा बैक मुख्यालय में ही समयाभाव के कारण रेंडम आधार पर सूची का सत्यापन किया गया, उपायुक्त सहकारिता इन्दौर के निर्देश दिनांक 16.12.18 के तारतम्य में संस्थाओ की जानकारी का 37 कालमों में सत्यापन रेंडम तौर पर किया गया, इस अल्प समय में रेंडम तौर पर किये गये सत्यापन कार्य जिन खातो का सत्यापन किया गया है, उसमें त्रुटि नही पाई गई। उक्त कार्य समयाभाव में करना बताया जाकर पत्र में उल्लेखित सेवा से पदच्युत की शास्ति से परिवार भयभीत एवं विचलित होना, आर्थिक रूप से कमजोर, तीन अल्प वयस्क पुत्रियो का अध्ययनरत एवं निर्वाह/भरण पोषण व आश्रित रहना, स्वंय शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से विचलित होना बताया जाकर यथेष्ठ शास्ति संबंधी निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है ।

07–मेरे द्वारा अपचारी पर अधिरोपित आरोप, जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन का अनुशीलन किया गया । जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से असहमत होते हुये समग्र तथ्यों पर विचारोपरांत श्री जगदीश खीची, निलंबित सहकारी निरीक्षक, रायसेन के विरूद्ध म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत तीन **वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव** से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की जाकर विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा इनकी निलंबन अवधि में जीवन पिर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन भत्ते देय नही होगें तथा इन्हे निलंबन से बहाल किया जाकर जिला रायसेन पदस्थ किया जाता है । उक्त की प्रविष्टि सेवा अभिलेख में लाल स्याही से की जाकर फोटोप्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जावे ।

यह आदेश आज दिनांक 19/09/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/10/विजां0/2019/2586 भोपाल दिनांक 19/09/2019

प्रतिलिपि–

01– संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग भोपाल ।
02– उप आयुक्त सहकारिता जिला रायसेन ।
03– सहायक आयुक्त सहकारिता देयक मुख्यालय।
04– स्थापना 03 मुख्यालय ।
05– श्री जगदीश खीची, निलंबित सहकारी निरीक्षक,द्वारा–उपायुक्त सहकारिता जिला रायसेन ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0